भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 950

08 फरवरी, 2023 के लिए प्रश्न

एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड की स्थिति

950. श्री दिलीप घोष:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत गेहूं, चावल, चीनी, खाद्यान्न और मिट्टी के तेल की आपूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल से अब तक प्राप्त कुल मांग का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राज्य को वास्तव में प्राप्त/उठाई गई मात्रा कितनी है और उसका कितना उपयोग हुआ है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान पीडीएस के तहत पश्चिम बंगाल में बीपीएल श्रेणी के कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में पीडीएस की दक्षता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) पश्चिम बंगाल में लाभार्थियों के आधार संख्या को उनके राशन कार्ड से जोड़ने के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और

(घ) एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और इसमें शामिल जनसंख्या के प्रतिशत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): पिछले पांच वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों (अर्थात् चावल और गेहूं) के आवंटन और उठान का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 अब पूरे देश में व्यापक रूप से लागू किया जा रहा है। सरकार ने मई, 2017 में चीनी सब्सिडी योजना की समीक्षा की थी और इसे केवल एएवाई परिवारों के लिए जारी रखने का निर्णय लिया था। केंद्र सरकार भागीदार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1 कि.ग्रा. प्रति माह प्रति एएवाई परिवार की दर से 18.50 रुपए प्रति कि.ग्रा. की निर्धारित सब्सिडी की प्रतिपूर्ति करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हैंडलिंग, परिवहन और डीलर के कमीशन के कारण होने वाली अतिरिक्त लागत को समायोजित करने अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत 13.50 रुपये प्रति कि.ग्रा. के खुदरा निर्गम मूल्य (आरआईपी) को जोड़कर उसे उपभोक्ता को प्रदान करने की भी अनुमति दी गई है। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण हेतु पश्चिम बंगाल के लिए चीनी का वार्षिक कोटा 23828 टन है और लाभार्थी परिवारों की कुल संख्या 16.42 लाख है।

.....2/-

संबंधित वित्तीय वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे के अनुसार पिछले पाँच वित्त वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल को जारी की गई चीनी सब्सिडी के अनुसार वितरित की गई चीनी की मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वित्त वर्ष	वितरित की गई चीनी (टन में)
1	2017-18	9102.12
2	2018-19	14685.98
3	2019-20	9456.23
4	2020-21	32844.61
5	2021-22	20207.20
6	2022-23	8832.43

भोजन पकाने और आग जलाने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तिमाही आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी के तेल का आवंटन किया जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी के तेल का आवंटन और पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य द्वारा वास्तव में उठान की गई मात्रा का आवंटन निम्नानुसार है:

आँकड़े किलोलीटर में

वित्तीय वर्ष	आवंटन	उठान
2017-18	704016	653631
2018-19	704016	699313
2019-20	704016	692683
2020-21	704016	696512
2021-22	704016	689651

(ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, के लागू होने के पश्चात, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को एपीएल और बीपीएल श्रेणी से अलग (डी-लिंक) कर दिया गया है। अब, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत परिवारों की केवल दो श्रेणियाँ ही हैं:

(i) अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई); और
(ii) प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच)

पश्चिम बंगाल में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत लगभग 601.84 लाख लाभार्थियों की कुल संख्या को खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है।

.....3/-

इसके अतिरिक्त, तकनीकी सुधार के भाग के रूप में, पूरे देश में सार्वतनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण करने की योजना, जो आधार-बायोमेट्रिक प्रमाणन के माध्यम से देशभर में एनएफएसए लाभार्थियों की पारदर्शिता और उन्हें सही प्रकार से लक्षित करना सुनिश्चित करती है, को लागू किया गया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना प्रवासी लाभार्थियों के लिए देशभर में मौजूदा (पुराने) राशन कार्ड के साथ एनएफएसए राशन सुविधाओं की पोर्टेबिलिटी को निर्बाध रूप से प्रदान करती है।

(ग): पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने राज्य में एनएफएसए लाभार्थियों के राशन कार्डों के साथ 98% आधार सीडिंग को प्राप्त किया है।

(घ): वर्तमान में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) लाभार्थियों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (सम्पूर्ण राष्ट्र) में लागू की गई है और देश में लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों(100% एनएफएसए लाभार्थी) को कवर किया जा रहा है। दिनांक 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार, एनएफएसए, 2013 के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

******

अनुबंध -I

लोकसभा में दिनांक 08.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 950 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2017-18 से, टीपीडीएस के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के संबंध में खाद्यान्नों के आवंटन और उठान का ब्यौरा

(हजार टन में)

वर्ष	खाद्यान्न	आवंटन	उठान
		एनएफएसए	एनएफएसए
2017-18	चावल	1605.510	1443.007
	गेहूं	2360.687	2346.792
	कुल	**3966.197**	**3789.799**
2018-19	चावल	1607.542	1535.459
	गेहूं	2362.340	2361.550
	कुल	**3969.882**	**3897.009**
2019-20	चावल	1607.542	1559.710
	गेहूं	2362.671	2359.768
	कुल	**3970.213**	**3919.478**
2020-21	चावल	1607.949	1595.299
	गेहूं	2362.671	2346.258
	कुल	**3970.620**	**3941.557**
2021-22	चावल	1607.949	1548.594
	गेहूं	2362.671	2268.437
	कुल	**3970.620**	**3817.031**
2022-23#	चावल	2253.301	2139.235
	गेहूं	1717.318	1396.690
	कुल	**3970.619**	**3535.925**

उठान आँकड़े जनवरी, 2023 तक

अनुबंध -II

लोकसभा में दिनांक 08.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 950 के उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित अनुबंध।

एनएफएसए, 2013 के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एनएफएसए के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या (दिनांक 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	268.22
2	अरुणाचल प्रदेश	8.40
3	असम	251.17
4	बिहार	871.16
5	छत्तीसगढ़	200.77
6	दिल्ली	72.78
7	गोवा	5.32
8	गुजरात	344.15
9	हरियाणा	126.49
10	हिमाचल प्रदेश	28.64
11	झारखंड	264.12
12	कर्नाटक	401.93
13	केरल	154.80
14	मध्य प्रदेश	511.32
15	महाराष्ट्र	700.17
16	मणिपुर	20.08
17	मेघालय	21.46
18	मिजोरम	6.68
19	नागालैंड	14.05
20	ओडिशा	325.03
21	पंजाब	141.51
22	राजस्थान	440.01
23	सिक्किम	3.81
24	तमिलनाडु	364.69
25	तेलंगाना	191.62
26	त्रिपुरा	24.32
27	उत्तर प्रदेश	1497.77
28	उत्तराखंड	61.94
29	पश्चिम बंगाल	601.84
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.61
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीव	2.73
32	लक्षद्वीप	0.22
33	चंडीगढ़ (डीबीटी)	2.76
34	पुडुचेरी (डीबीटी)	6.34
35	जम्मू और कश्मीर	72.41
36	लद्दाख	1.44
	कुल	8010.78

******